आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –99 / 2021

सुगीता देवी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।*
20.02.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 979 / 2021 सुगीता देवी बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 03.11.2021 को पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में दिनांक–10.09.2020 को लिये गये निर्णय के विरुद्ध दायर किया गया है। यह मामला बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन अनुज्ञप्ति निर्गत करने से संबंधित है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश का अंश निम्न प्रकार हैः– **" Accordingly, the present writ petition stands disposed of as not pressed, however, with liberty to the petitioner to approach the learned Divisional Commissioner, Tirhut Range, Muzaffarpur, by filing appropriate appeal/revision and in case, such an appeal/revision is filed within a period of four weeks from today, the same shall be adjudicated on merits, in accordance with law and shall be disposed of by a reasoned and a speaking order within a period of eight weeks thereafter."** माननीय उच्च न्याालय, पटना के उक्त आदेश के आलोक में वाद को अधिग्रहित कर निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगाया गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी सं0–07 के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक को सविस्तार सुना। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :– (i) आवेदिका ग्राम–महंथ मनीयारी, प्रखंड–कुढ़नी, जिला–मुजफ्फरपुर	

WEB COPY NOT OFFICIAL

की निवासी है तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आती है। आवेदिका जिला आपूर्ति प्रशाखा, मुजफ्फरपुर द्वारा विज्ञापित नए जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु दिनांक 13.01.2018 को आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर के कार्यालय मे दी थी।

(ii) दिनांक 25.06.2018 को जिला आपूर्ति शाखा, मुजफ्फरपुर द्वारा जारी किये गये मेरिट लिस्ट में कुढ़नी प्रखंड के महंथ मनियारी पंचायत के रोस्टर सं0–1102 (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) के लिए आवेदिका का नाम अनुज्ञप्ति हेतु योग्य बताया गया। विपक्षी सं0–07 पूजा प्रभा को कम्प्यूटर से संबंधित ज्ञान का प्रमाण–पत्र एवं व्यापार स्थल का खाता, खेसरा एवं रकबा से संबंधित खतियान/केवाला नहीं रहने के कारण अनुज्ञप्ति हेतु अयोग्य ठहराया गया।

(iii) जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक–10.09.2020 को जन वितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु संपन्न जिला स्तरीय चयन समिति के बैठक की कार्यवाही में अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिम, मुजफ्फरपुर के द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुशंसित मेधा सूची के आधार पर अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई, जिसमें मुजफ्फरपुर पश्चिम अनुमंडल के कुढ़नी प्रखंड के महंथ मनियारी पंचायत के रोस्टर सं0–1102 (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) के मेरिट लिस्ट में अनुज्ञप्ति के लिए अयोग्य आवेदिका पूजा प्रभा (विपक्षी सं0–7) को कम्प्यूटर ज्ञान धारक बताकर जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति की अनुशंसा कर दी गई,जबकि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कुढ़नी के द्वारा जन वितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ति 2017–18 संबंधित जाँच प्रतिवेदन 14.03.2018 में सुस्पष्ट मंतव्य लिखा गया है कि पूजा प्रभा (विपक्षी सं0–07) के आवेदन में कम्प्यूटर से संबंधित ज्ञान का प्रमाण पत्र एवं व्यापार स्थल का खाता, खेसरा, रकवा से संबंधित खतियान/केवाला नहीं लगा है एवं दिनांक–25.06.2018 को अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी मेरिट लिस्ट में भी अंकित है, कि (पूजा प्रभा विपक्षी सं0–07) के आवेदन में कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र एवं व्यापार स्थल का खतियान/केवाला नहीं है, इसके बावजूद गलत तरीके से अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी के द्वारा पूजा प्रभा (विपक्षी सं0–7) की अनुशंसा कर दी गई।

(iv) विपक्षी सं0–07 पूजा प्रभा के कम्प्यूटर योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र दिनांक 05.02.2018 की तिथि में Educom Solution नामक संस्था द्वारा जारी है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 15.01.2018

WEB COPY NOT OFFICIAL

थी। यह संस्था मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में ही नही बल्कि मुजफ्फरपुर के किसी भी क्षेत्र में संचालित/अवस्थित नहीं है। श्रीमती प्रभा द्वारा आवेदन के अंतिम तिथि के बाद फर्जी प्रमाण पत्र खरीद कर आवेदन पत्र में ''है'' शब्द लिखकर लगाया गया है।

विपक्षी सं0–07 श्रीमती पूजा प्रभा के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(i) विपक्षी सं0–07 श्रीमती पूजा प्रभा की शैक्षणिक योग्यता इंटर और कम्प्यूटर ज्ञान सुगीता देवी (शैक्षणिक योग्यता–मैट्रिक एवं कम्प्यूटर ज्ञान) से अधिक होने के कारण चयन किया गया।

(ii) श्रीमती सुगीता देवी संबंधित पंचायत की स्थायी निवासी नहीं होने के बावजूद भी संबंधित पंचायत महंथ मनियारी के लिए गलत रूप से आवेदन दी है। सुगीता देवी पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा उत्तर विधानसभा क्षेत्र की निवासी एवं मतदाता है। मतदाता सूची के क्रमांक 483 पर इनका नाम है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 10.09.2020 को संपन्न बैठक में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा रोस्टर बिन्दु सं0–1102 (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) पंचायत–महंथ मनियारी हेतु श्रीमती पूजा प्रभा का शैक्षणिक योग्यता इंटर एवं कम्प्यूटर ज्ञान धारक होने के कारण चयनित किया गया।

समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 30.12.2017 को प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 5 में अंकित है कि :–*''अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु आवेदन पत्र अनुमंडलवार दिनांक 15 जनवरी 2018 तक कार्यालय अवधि में केवल निबंधित डाक द्वारा ही स्वीकार्य होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।''*

विपक्षी सं0–07 पूजा प्रभा द्वारा दिनांक 05.02.2018 को निर्गत कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है जबकि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2018 है।

उल्लेखनीय है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कुढ़नी के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि विपक्षी सं0–07 पूजा प्रभा द्वारा आवेदन पत्र के साथ कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि पूजा प्रभा द्वारा कम्प्यूटर ज्ञान

WEB COPY NOT OFFICIAL

से संबंधित प्रमाण–पत्र आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् संबंधित कार्यालय से मिली–भगत कर अवैध तरीके से संलग्न किया गया हैं।

विपक्षी सं0–07 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सुगीता देवी पश्चिम बंगाल की निवासी है, मतदाता सूची के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि श्रीमती सुगीता देवी का नाम दो जगहों के वोटर लिस्ट में दर्ज है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि दो जगह वोटर लिस्ट में नाम रखना या वोटर Id Card होना The Representation of the People Act , 1950 की धारा 17 एवं 31 के अनुसार दंडनीय अपराध है। जिला चयन समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या पूरे जिले में लोकहित में सभी अभ्यर्थियों को दावा/आपत्ति के संबंध में पुनः समय सीमा बढ़ा कर मौका दिया गया था या नहीं ? प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी के प्रतिवेदन को अमान्य करने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में नई अनुज्ञप्ति हेतु जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक 10.09.2020 को लिये गये निर्णय को त्रुटिपूर्ण पाते हुए प्रस्तुत वाद को जिला स्तरीय चयन समिति, मुजफ्फरपुर को इस निदेश के साथ वापस किया जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता एवं विपक्षी सं0–07 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद के गुण–दोष पर विचारोपरांत यथाशीघ्र नियमानुकूल निर्णय/मुखर आदेश पारित करें। निम्न न्यायालय/जिला चयन समिति का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL